इकाई 12 खाद्य नीति और खाद्य सुरक्षा का अधिकार

इकाई की रूपरेखा

12.0 उद्देश्य

12.1 प्रस्तावना

12.2 राष्ट्रीय खाद्य नीति

- 12.2.1 खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि
- 12.2.2 खाद्यान्न की अधिप्राप्ति
- 12.2.3 खाद्यान्न का भण्डार
- 12.2.4 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
- 12.2.5 खाद्यान्न का निर्यात और आयात

12.3 खाद्य सुरक्षा का अधिकार

- 12.3.1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

12.4 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का आलोचनात्मक अवलोकन

12.5 निष्कर्ष

12.6 शब्दावली

12.7 संदर्भ लेख

12.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

12.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्न को समझ सकेंगे:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act – NFSA), 2013 की प्रमुख विशेषताएँ;
- राष्ट्रीय खाद्य नीति (National Food Security - NFS) की उभरती हुई चुनौतियों की चर्चा; और
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का आलोचनात्मक अवलोकन।

12.1 प्रस्तावना

भारत की खाद्य नीति का विकास सन् 1943 में बंगाल में पड़े अकाल के परिणामस्वरूप हुआ, इस अकाल के कारण 10 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। इस अकाल का मुख्य कारण एक था खाद्यान्न की समुचित आपूर्ति न होना और दूसरा पीड़ितों की गरीबी के कारण खाद्यान्न को खरीदने की शक्ति का न होना यानि की घोर गरीबी। इसी वर्ष यानी सन् 1943 में ही सर जॉर्ज थियोडोर (Sir George Theodore) की अध्यक्षता में खाद्य नीति समिति (Foodgrains Policy Committee) की स्थापना हुई। इस समिति ने सिफारिश की कि भविष्य में इस प्रकार की भयंकर स्थिति से निपटने के लिए खाद्यान्नों का राशन करना अत्यावष्यक है। इसके पश्चात् आगे आने वाली सरकारों ने प्रयास किया कि (i) किसानों को न्यूनतम समर्थित मूल्य (Minimum Support Price - MSP) के भुगतान के माध्यम से देश में खाद्यान्नों के उत्पादन के स्तर में वृद्धि करने के प्रयत्न किए जाये और उपभोक्ताओं को

खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए एक रचनातन्त्र का निर्माण किया गया। उपभोक्ताओं को विशेषकर समाज के कमजोर और संवेदनशील वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System - PDS) को विकसित करके स्थापित किया गया।

हमारे पास साक्ष्य हैं कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ है देश में खाद्य और कृषि की नीतियाँ बनी हैं, उनका उद्देश्य भूखमरी, खाद्य असुरक्षा और गरीबी को कम करने का उद्देश्य रहा है। इसके साथ–साथ ही खाद्यान्नों के उत्पादनों में वृद्धि करना और खाद्य सुरक्षा के उपाय के रूप में खाद्यान्नों के समुचित भण्डारों की व्यवस्था की गई (त्यागी Tyagi, 1990)। खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देना, भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।

कृषि मंत्रालय द्वारा अपने मसौदा दस्तावेज "भारतीय कृषि : विजन सन् 2020" (Indian Agriculture: Vision 2020 AD) में दिए गए अनुमान के अनुसार अथवा उसके आधार पर 135 करोड़ लोगों की खाद्यान्न की माँगों की पूर्ति करने के लिए अनुमानित 32.4 करोड़ टन खाद्यान्न पूर्ति की आवश्यकता होगी, यह जनसंख्या का सबसे निम्न स्तर माना गया है।

12.2 राष्ट्रीय खाद्य नीति

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, केन्द्रीय सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के रूप में देश के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है: न्यूनतम समर्थित मूल्य पर सक्षम अधिप्राप्ति करना, समुचित नीति के मानकों के माध्यम से खाद्यान्नों का संग्रह या भण्डारण करना और उसका वितरण करना, उसके साथ ही खाद्यान्नों के भारी व व्यापक भण्डारों का संरक्षण व देखभाल करना, उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों की पहुँच का निर्माण करना, विशेषकर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System - TPDS) के अंतर्गत समाज के कमजोर और संवेदनशील वर्गों के लिए उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों की पूर्ति करना है। यह खाद्य नीति, संक्षेप में देश के लिए मुख्य रूप से रखी गई है।

खाद्य नीति में सबसे अधिक प्राथमिकता निम्नलिखित उपायों के रूप में दी गई है:

12.2.1 खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि

भूमि और जल संसाधनों के कम होने के विचार को ध्यान में रखते हुए, खाद्यान्नों, रेषेवाली फसलों अन्य आवश्यकताओं की माँग की पूर्ति करने के लिए उत्पादन में वृद्धि करना अत्यंत आवश्यक है और भावी माँगों और पूर्ति करने के लिए भारत के लिए अधिकतम कार्यनीतियों को अपनाना पड़ेगा व उनको लागू करना होगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक ही उपाय है कि (i) उत्पादन में उन्नत प्रौद्योगिकियों के द्वारा लगातार तरीके से कार्य किए जाएँ; (ii) अत्यावष्यक खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थित मूल्य की सहायता राषि या अनुदान और इसकी गारन्टी किसानों को सहयोग और सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए; तथा (iii) सिंचाई सुविधाओं में सुधार किया जाए।

12.2.2 खाद्यान्न की अधिप्राप्ति

भारत सरकार ने सन् 1965 में भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India - FCI) की स्थापना इस नीति के परिचालन के लिए की थी। राज्य सरकारों की एजेंसियों की सहायता से भारतीय खाद्य निगम ने गेहूँ, धान और मोटे अनाजों की अधिप्राप्ति की ताकि किसानों को सहायता राषि उपलब्ध कराई जा सके। भारतीय खाद्य निगम अधिप्राप्ति और

खाद्यान्नों के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रत्येक रबी/खरीफ की फसल के मौसम से पहले केन्द्र सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices - CACP) की सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम समर्थित मूल्यों की घोषण करती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग विभिन्न कृषि निवेशों और उनके उत्पादन के लिए किसानों के समुचित सीमांत पर लगी लागत को ध्यान में रखकर मूल्यों का निर्धारण करता है। किसान आजकल स्वामीनाथन समिति (Swaminathan Committee) की सिफारिशों के आधार पर सी2+50 न्यूनतम समर्थित मूल्य का भुगतान करते है।

राज्य सरकारें विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (Decentralised Procurement - DCP) प्रणाली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं ताकि अधिक से अधिक अधिप्राप्ति की जा सकें तथा परिवहन भाड़ा लागत को कम किया जा सके और न्यूनतम समर्थित मूल्य के पहुँच में वृद्धि हो। हाल के वर्शों में खाद्यान्नों के उत्पादनों में भारी वृद्धि के साथ ही उत्तरी भारत में हरित क्रांति लाने में विशेष जोर दिया गया और अधिप्राप्ति के परिचालन का कार्य अनेक राज्यों में विस्तारित हुआ है। इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों का केन्द्रीय पूल भण्डार संग्रह एक रिकार्ड स्तर पर पहुँच गया है और 319 लाख टन के भारी भण्डार के मानकों से बहुत अधिक हो गया है। इसलिए, अधिप्राप्ति, वितरण तथा खाद्यान्नों के निपटान के साथ अधिप्राप्ति का संतुलित दृष्टिकोण अपनाया गया है और अब किसानों को समुचित मूल्य समर्थित उपलब्ध कराया गया है और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताएँ, भारी भण्डारों का रखरखाव या संरक्षण की पूर्ति करने के लिए और बाजार को बिना किसी नुकसान के दिए फालतू खाद्यान्नों का निपटान किया जा रहा है।

12.2.3 खाद्यान्न का भण्डार

भारतीय खाद्य निगम के पास केन्द्रीय संचयन खाद्यान्नों का सुरक्षित भण्डार करने के लिए सभी राज्यों में इसके अपने ग्रिड और सभी तरह से ढ़के हुए अच्छे गोदाम हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय वेयरहाउस निगम (Central Warehousing Corporation - CWC) और राज्य की एजेंसियों जैसे राज्य वेयरहाउस निगमों (State Warehousing Corporations) और निजी पार्टियों के पास समुचित भण्डार करने के गोदाम मौजूद हैं।

समुचित भण्डारण के लिए क्षमता उपलब्ध है। ध्यान रहे कि 783.17 लाख मीट्रिक टन की क्षमता के लक्ष्य के समक्ष 555.40 लाख मीट्रिक टन (2017) में केन्द्रीय भण्डार का खाद्यान्न रखने की क्षमता मौजूद थी। उत्पादनों की वृद्धि तथा खाद्यान्नों की अधिक अधिप्राप्ति को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित विभाग ने देश में भण्डारण करने की क्षमता में आवर्धन के लिए निजी उद्यमी गारन्टी (Private Entrepreneurs Guarantee - PEC) स्कीम (2008) को आरंभ किया है। निजी उद्यमी गारन्टी स्कीम के अंतर्गत सार्वजनिक–निजी भागेदारी (Public Private Partnership - PPP) मोड तथा भूमि व निर्माण की लागत को चुने गए हिस्सेदार गोदाम निर्माण करने में अपनी धनराशि को लगाएँगे। भण्डारों में आधुनिक सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए स्टील के कोश्ठागारों का निर्माण किया जाएगा, सबका निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदार मोड के रूप में निर्मित किए जायेगा।

12.2.4 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act – NFSA), 2013 के दिशा–निर्देशों के अनुसार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्तियों, और सुरक्षित उपलब्धता तथा उनके वितरण को ध्यान में रखते हुए और इसको लागू करने के लिए केन्द्र सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System - TPDS)

नियन्त्रण आदेश, 2015 को अधिसूचित किया है। इस लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपनाया गया है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शक्ति दी गई है कि राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act), 1955 के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की बिक्री और उसके वितरण को विनियमित करने के आदेश जारी करें ताकि उसका पालन किया जा सके। हालाँकि, राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार के आदेश जारी किए गए किन्तु यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थे।

12.2.5 खाद्यान्न का निर्यात और आयात

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए यह अनिवार्य आज्ञात्मक बन गया है कि खाद्यान्नों का निर्यात और आयात करने के लिए शक्ति से विनियमों का पालन किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने सन् 2011 से निजी पार्टियों के द्वारा भण्डार किए गए ग़ैर–बासमती चावलों की स्वतंत्रता से निर्यात करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। राज्य व्यापार उद्यमों (State Trading Enterprises - STEs) और कुछ अन्य को भी निजी तौर पर ग़ैर–बासमती चावल का भण्डार रखने तथा गेहूँ का निर्यात करने की अनुमति दी गई है। ग़ैर–बासमती चावल और गेहूँ को कस्टम्स ई.डी.आई. पोर्ट्स के माध्यम से अनुमति प्रदान की गई है। निर्यात के लिए इण्डो–बांग्लादेश तथा नेपाल की सीमाओं से भी निर्यात किया जाएगा, इसके लिए यह शर्त है कि वे डी.जी.एफ.टी. (DGFT) के साथ मात्रा का पंजीकरण कराए और ग़ैर–ई.डी.आई. भूमि कस्टम स्टेशन (Land Custom Stations - LCS) के द्वारा भी निर्यात करने की अनुमति प्रदान की गई है। बीज के लिए चावल की कोटि और अन्य (बीज की कोटि के अतिरिक्त भूसी में चावलों (धान या रफ) को लाइसेंस लेने के पश्चात् निर्यात करने की अनुमति दी गई है।

बोध प्रश्न 1

टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) खाद्यान्नों की राशनिंग करना, भारत की स्वतंत्रता से पूर्व ही सिफारिश की गई थी। विस्तार से स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

2) खाद्य नीति में निहित उच्च प्राथमिकता के उपायों की संक्षेप में चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

12.3 खाद्य सुरक्षा का अधिकार

खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित करना, भारत की जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि होने (जून, 2019 में अनुमानित जनसंख्या 133 करोड़) के कारण, यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। खाद्य सुरक्षा के लिए कार्यनीति खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर व्यापक रूप से आधारित है, इसलिए, भूखमरी और कुपोषण को कम करना अनिवार्य है क्योंकि यह अनेक अकाल मृत्यु होने का प्रमुख स्रोत है। सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा (Universal Declaration of Human Rights -UDHR) (1948) द्वारा मान्यता दी गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा करने का अधिकार है और व्यक्ति को स्वयं और उसके परिवार को स्वस्थ तथा उसके परिवार की खुषहाली और कल्याण के लिए समुचित जीवन के स्तर को बनाएँ रखने का अधिकार है।

12.3.1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

लोगों की खाद्य सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सितम्बर 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को प्रतिपादित किया। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रतिश्ठा के साथ जीवनयापन करने के लिए लोगों को उचित मूल्य पर समुचित मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराकर पोषणात्मक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इस अधिनियम के माध्यम से एक परिकल्पित दृष्टिकोण को खाद्य सुरक्षा के रूप में परिवर्तित कर दिया गया जिसको इससे पहले कल्याणकारी कार्यों के एक उपाय के रूप में मानी जाती थी उसे अब एक हक के रूप में स्थापित कर दिया गया।

इस अधिनियम के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लक्ष्यित करते हुए इसके अंतर्गत 75 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को सम्मिलित किया गया है जो खाद्यान्न सामग्री पर अनुदान सहायता प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे, इस प्रकार से भारत की कुल जनसंख्या का दो–तिहाई हिस्सा 1.3 बिलियन जनसंख्या इसमें समाहित कर दी गई है, उन सबके इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लाभ प्राप्त करने के लिए जिन लोगों को सम्मिलित किया गया है, उनको दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है – प्रथम जो परिवार शामिल हैं वे अन्त्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana - AAY) और दूसरी श्रेणी के वे परिवार हैं जो कि शेष रह गए हैं, उन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर यह सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। अंत्योदय अन्यय योजना को सन् 2000 में आरंभ किया गया था जिसका उद्देश्य गरीबों में से भी अत्यन्त गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लक्ष्य और उद्देश्य पर ध्यान दिया गया था, और इसमें लगभग 2.5 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है। इस प्रकार के परिवारों को प्रति महीना, प्रति परिवार 35 कि.ग्रा. 1/2/3 प्रति रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से अपरिश्कृत या मोटा खाद्यान्न/गेहूँ/ चावल प्राप्त होगा, प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति, प्रति महीना 5 कि.ग्रा. खाद्यान्न ऊपर उल्लेखित उच्च अनुदान सहायता मूल्यों पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने का हक होगा।" इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम उन सभी महिलाओं को जो प्रसव अवस्था में है, वे इसकी हकदार होगीं तथा गर्भवती महिलाएँ, स्तनपान कराने वाली माताएँ और कुछ श्रेणियों के बच्चे भी प्रतिदिन निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार होगें। इसका उद्देश्य लक्ष्यित लीक वितरण प्रणाली के अंतर्गत समाज के गरीब और संवेदनशील वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इस अधिनियम द्वारा जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत समाधान रचनातन्त्र की स्थापना की है। इस तरह की स्थापना के साथ

ही सम्पूर्ण कार्य संचालन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए अलग प्रावधानों का निर्माण भी किया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) अब सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू हो चुका है, इसके परिणामस्वरूप 81.34 करोड़ लोगों को इसका लाभ पहुँचाने की व्यवस्था के अंतर्गत अब लगभग 80.55 करोड़ लोगों को इसका लाभ उपलब्ध कराने के लिए सुविधा प्राप्त करने वाले में सम्मिलित किया जा चुका है। इस के साथ ही चण्डीगढ़, पुडुचेरी और दादर एवं नगर हवेली के शहरी क्षेत्रों में नकद हस्तान्तरण प्रणाली के अंतर्गत इस अधि ानियम को लागू किया जा रहा है जिसके माध्यम से लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में खाद्यान्नों पर मिलने वाली अनुदान सहायता राषि जमा हो जाएगी और वे लोग अपनी इच्छानुसार खाद्यान्न सामग्री का क्रय खुले बाजार से कर सकेंगे अर्थात् अपनी इच्छानुसार अनुदान राशि का प्रयोग कर सकेंगे।

यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि आवश्यक वस्तु और खाद्यान्नों की बिक्री और वितरण को विनियम करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत एक आदेश के अनुसार राज्य सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वे खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण आदेश, 2015) के अंतर्गत लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधिसूचित करें। इसके अतिरिक्त, सरकारी स्कूलों और सहायता प्राप्त स्कूलों के प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं से ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए मिड डे मील स्कीम लागू करने के साथ ही खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (भारत सरकार) को सबला स्कीम के संचालन का कार्य भार सौंपा गया जिसमें यह उद्देश्य है कि 11–18 वर्ष की आयु की किशोर बालिकाओं के लिए उनके पोषणात्मक और स्वास्थ्य स्तर में सुधार करने के लिए इस स्कीम को लागू किया जाए ताकि उनको अपने विभिन्न कौशलों को ओर अधिक बेहतर बनाने में सहायता मिल सके। सबला स्कीम का यह भी उद्देश्य है कि उनको परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, स्वच्छता इत्यादि के सम्बन्ध में शिक्षित किया जा सके तथा मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं के सम्बन्ध में भी उनका मार्गदर्शन किया जाए। पोषणात्मक स्तर (एक वर्ष में 300 दिनों के लिए प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिदिन 100 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए) का संचालन करने के लिए इस योजना को मिड–डे मील स्कीम के साथ संबद्ध कर दिया गया है ताकि दोनों का आसानी से पालन किया जा सके।

इसके अतिरिक्त डी.पी.एस. से सम्बन्धित रिकार्डों को प्रदर्शित करने के लिए प्रावधानों का निर्माण किया गया है, जिसमें सामाजिक लेखा और सतर्कता समितियों के गठन की व्यवस्था की गई है, साथ ही पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके और आवश्यक वस्तु वितरण व्यवस्था में धांधलियों को रोकने के लिए उत्तरदायित्व तय किये जा सके।

12.4 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का आलोचनात्मक अवलोकन

खाद्य, उपभोक्ता कार्य एवं सार्वजनिक वितरण (2012–13) पर गठित की गई लोकसभा समिति की 27वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा की समस्या के समाधान में प्रस्तावित विधि विधान ने वर्तमान कल्याणकारी दृष्टिकोण की परिकल्पना को अधिकार आध ाारित दृष्टिकोण में बदल दिया है। इसके परिणामस्वरूप लगभग दो–तिहाई जनसंख्या (अनुमानित 67 प्रतिशत) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सहायता अनुदान राषि प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। जिस देश में लगभग बच्चों का 40 प्रतिशत भाग कुपोषित हो वहाँ पर इस प्रकार की योजनाओं को लागू करना बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होता है।

हालाँकि, इन नीति सम्बन्धी उपायों के सम्बन्ध में आलोचना की गई एवं आषंका की गई है। एक बी.जे.पी. के बड़े राजनीतिज्ञ और विपक्ष नेता ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल को "खाद्य सुरक्षा" के स्थान पर "वोट सुरक्षा" (*हिन्दुस्तान टाइम्स,* 31 अगस्त, 2013) में वर्णित किया था। इसके साथ ही कृषि लागत और मूल्य आयोग ने चेतावनी देते हुए कहा था कि इस बिल के पारित होने से तिलहनों और दालों के उत्पादनों में भारी गिरावट के साथ भयंकर असंतुलन बन सकता है, और "इससे माँग का दबाव पैदा होगा जिसमें अनिवार्य रूप से खाद्यान्नों के बाजार मूल्यों में गिरावट आएगी। इसके अतिरिक्त, उच्च खाद्य सहायता अनुदान के कारण बजट पर प्रभाव पड़ेगा और राजकोष को कम करने में अपना सहयोग देना और व्यापक स्तर पर मुद्रा स्फीति के स्तर पर दबाव पड़ेगा। जिससे अर्थव्यवस्था के गड़बड़ाने की आषंका होगी।" आयोग ने तर्क प्रस्तुत किया कि यह बिल कृषि में निजी प्रोत्साहन पर पाबन्दी लगाएगा और खाद्य बाजार पर सरकार का प्राधिकार होने के कारण बाजार स्थलों पर प्रतिस्पर्धा में कमी आएगी और कृषि में धनराशि के निवेश के स्थान पर सहायता अनुदान राषि पर अपना ध्यान परिवर्तन कर देंगे और लगातार अन्न उत्पादन में अपना ध्यान केन्द्रित कर देंगे जब उपभोक्ताओं की माँगों के ढाँचे में परिवर्तन होने के कारण प्रोटीन, फलों तथा सब्जियों पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता का संकेत प्राप्त होगा।

प्रसिद्ध प्रोफेसर जीन ड्रेज़े इस मूल बिल की रचना 2001 के प्रमुख रचना के प्रमुख वास्तुकार हैं, उन्होंने लिखा है कि "कृकृ यह बिल मानव पूँजी में एक निवेश का रूप है। यह लोगों के जीवन में सुरक्षा पैदा करेगा, और उनकी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता और आसान बनाएगा। उनके बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा को संरक्षित करेगा और उनकी प्रगति में जोखिम उठाने की शक्ति प्रदान करेगा (तहलका, 22 मार्च, 2013)। आलोचक अपना विचार प्रकट करते हैं कि एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन एक पहेली और अक्षम व प्रभावहीन बन कर रह जाएगा जोकि अन्य सामान्य सहायता अनुदान तथा कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकताओं को उत्पन्न करने में सहयोग प्रदान करेगा। इससे प्रचुर मात्रा में गिरावट पैदा होने की आषंका है। कुछ राज्यों में यह देखा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो परिवारों की संख्या निर्धारित की है वह संख्या अनुमानित जनगणना परिवारों की संख्या से अधिक पाई गई थी अथवा और जिस जनसंख्या को शामिल किया गया है वह अनुमानित कुल जनसंख्या से अधिाक पाई गई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम खाद्यान्नों के परिवर्तन का उदाहरण ही लीजिए, यहाँ तक जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्णय से पहले पहुँचने पर वहाँ पर भीड़–भाड़ का ही दौर था। इसके साथ ही योजना के परिचालन में भयंकर भूलें सामने आई है उन तथ्यों के साक्ष्य हमारे समक्ष मौजूद हैं जैसे कि 25 से 30 प्रतिशत कार्डधारी द्वेध या अवैध थे अथवा उनका अस्तित्व ही नहीं था। सन् 2016 में यह अनुमान लगाया गया था कि इन कमियों तथा इस तरह के क्षरण या गिरावट और असक्षमता के परिणामस्वरूप अत्यधिक धनराशि नष्ट हुई और लगभग 30,000 करोड़ रुपए की धनराशि प्रतिवर्ष हानि के रूप में आँकी गई थी।

बोध प्रश्न 2

टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए।

.....

.....

2) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की आलोचना पर प्रकाश डालिए।

.....

.....

.....

.....

.....

12.5 निष्कर्ष

मनुश्य का स्वास्थ्य केवल लम्बी आयु प्राप्त करने के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि प्रसन्नतापूर्ण जीवनयापन के लिए भी आवश्यक है। इसको विस्तार से इस प्रकार कह सकते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि आपके द्वारा भोजन प्राप्त करने का क्या रूप है अथवा आप कैसा भोजन करते हैं। खाद्यान्नों की आपूर्ति (गेहूँ, चावल और ज्वार, बाजरा तथा मक्का) तथा अनाज, भारत में समर्थन मूल्यों पर उपलब्ध होना खाद्य नीति का एक अनिवार्य घटक है। चिरकालिक खाद्य असुरक्षा का समाधान, या उपाय सहायता अनुदान खाद्य वितरण के माध्यम से पूरा किया जा सकता है (विशेषकर समाज के कमजोर और संवेदनशील वर्गों के लिए) कार्य के लिए भोजन, रोजगार सष्जन करना और गारन्टी कार्यक्रमों के माध्यम से समाधान किया जा सकता है। अभी हाल ही में (2019) केन्द्र सरकार ने एक निर्णय लिया है कि किसानों को और अधिक खाद्यान्नों के उत्पादनों को और अधिक पैदा करने के लिए किसानों को प्रति वर्ष प्रति किसान 6000 रुपए सहायता अनुदान देने की घोषणा की है। इससे यह आशा की जाती है कि प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि की प्राप्ति से किसानों के जीवन में सुधार आएगा।

कृषि सम्बन्ध और खाद्य नीति–यों की सूत्रीबद्धकरण और उनके कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादनों में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, लोगों की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को सषक्त बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को पारित किया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रतिष्ठा के साथ स्वस्थ्य जीवन जीने के लिए खाद्य और पोषणात्मक सुरक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाया जाए अथवा उनकी इस सुविधा को उपलब्ध कराया जाए कि अभी तक इस मुद्दे को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस अधिनियम के अंतर्गत इस योजना को आरंभ करने में और इसको लागू करने में गंभीर कमियाँ तथा अप्रभावीकारिता का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण इसके लाभों को प्राप्त करने में अनेक बाधाएँ सामने खड़ी हैं।

12.6 शब्दावली

खाद्य सुरक्षा (Food Security): खाद्य नीति को सभी लोगों तक, सभी समयों पर एक स्वस्थ्य जीवन के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री को पहुँचाने या उपलब्ध कराने के रूप में परिभाषित किया गया है।

खाद्य (Food): कोई भी पोषणात्मक पदार्थ जिसको लोग या पशु अपने जीवन और उसकी संवृद्धि बनाए रखने की दिशा में खा या पी सकते हैं।

हकदार या योग्य (Entitlement): कोई तथ्य या कुछ प्राप्त करने का अधिकार होने का भरोसा या उसमें विश्वास करना।

12.7 संदर्भ लेख

Dreze, J. (22nd March, 2013). Summary of the National Food Security Bill 2013. *Tehelka*. New Delhi.

GOI. (2013). *Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution (2012-2013). Fifteenth Lok Sabha, The National Food Security Bill 2011*. New Delhi: Government of India, Department of Food and Public Distribution.

GOI. (2013). *National Food Security Act, 2013*. New Delhi: Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India.

Gulati, A. et al. (2012). *The National Food Security Bill, Challenges and Options, Commission on Agricultural costs and Prices*. New Delhi: Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India.

Iyer, S. (26th August, 2013). *This is not food security, it is vote security, says BJP*. Hindustan Times. New Delhi.

Tyagi, D, S. (1990). *Managing India's Food Economy*. New Delhi, India: Sage Publications.

12.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) आपके उत्तर में निम्न को सम्मिलित होना चाहिए:

- भारत की खाद्य नीति का विकास, सन् 1943 के बंगाल में पड़े अकाल के परिणामस्वरूप हुआ था जिसमें 10 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी।
- सर जॉर्ज थिओडोर की अध्यक्षता में सन् 1943 में एक खाद्य नीति समिति की नियुक्ति हुई।
- इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में खाद्यान्नों की राशन व्यवस्था करने की सलाह दी गई थी ताकि भविष्य में इस प्रकार की भयंकर स्थिति से निपटने में सरकार को सहायता मिल सके। तब से लेकर अब तक की सभी सरकारों ने (i) किसानों को न्यूनतम सहायता मूल्य देकर देश में खाद्यान्न उत्पादों के स्तर में वृद्धि करने का प्रयास किए तथा, (ii) उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए एक रचनातंत्र का निर्माण किया ताकि खाद्यान्नों का वितरण आसानी से किया जा सके।

2) आपके उत्तर में निम्न को सम्मिलित होना चाहिए:

- खाद्यान्नों के उत्पादनों में वृद्धि करना
- खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति
- खाद्यान्नों का भण्डारण करना
- लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
- खाद्यान्नों का निर्यात और आयात करना

बोध प्रश्न 2

1) आपके उत्तर में निम्न को सम्मिलित होना चाहिएः

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की प्रासंगिकता
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की विशेषताएँ

2) आपके उत्तर में निम्न को सम्मिलित होना चाहिएः

- "खाद्य सुरक्षा" के स्थान पर "वोट खाद्य सुरक्षा" के लिए उपायों का निर्धारण।
- उच्च खाद्य सहायता अनुदान के परिणामस्वरूप बजट पर बोझ पड़ेगा, वित्तीय निधियों में कमी आएगी साथ ही व्यापक रूप से या स्तर पर मुद्रा स्फीति का दबाव बनेगा।
- कृषि क्षेत्र में निजी प्रोत्साहन पर पाबन्दी लगाना, खाद्यान्न बाजार पर सरकार के प्राधिकार होने के कारण बाजार स्थलों पर प्रतिस्पर्धा करने में कमी आएगी।
- अक्षमताओं के साथ पहेलियाँ जिसमें अन्य सहायता अनुदान तथा कल्याण योजनाओं के लिए और अधिक माँग उठेगी।
- शिकायत निवारण प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY